निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 97/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

चॉद रतन बाहेती पुत्र स्व॰ श्री रामचन्द्र बाहेती जाति महाजन, निवासी ग्राम नांगल सिरस, तहसील आमेर, हाल निवासी प्लाट नम्बर 44 ए, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रियवृत सिंह चारण आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।
3. श्रीमती शांन्ती देवी बाहेती पत्नी श्री चॉद रतन बाहेती जाति महाजन, निवासी ग्राम नांगल सिरस, तहसील आमेर, हाल निवासी प्लाट नम्बर 44 ए, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।
4. जयपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव, जवाहर लाल नेहरू मार्ग तहसील व जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2021 ब उनवानी चॉदरतन बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री गौरव शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री जय प्रकाश तिवाड़ी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.05.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 06/2021 व उनवानी चॉदरतन बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जय प्रकाश तिवाड़ी उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण में विगत 5 पेशियों से प्रार्थी द्वारा उक्त पत्रावली मे बहस अन्तिम सुनाये जाने हेतु अनेकों प्रयास अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष किये जा चुके है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 उक्त पत्रावली में बहस नहीं सुन रहे हैं।, गत दिनांक 20.4.2022 को प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष उपस्थित होकर उक्त पत्रावली में बहस सुनने का पुनः निवेदन किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ने बहस सुनने से इन्कार कर दिया जिसको प्रार्थी

के अधिवक्ता द्वारा कारण जानना चाहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहां कि में सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं करता हूँ । तुम अपनी पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करवा लो जिसकी वजह से प्रार्थी को यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । उपरोक्त वास्तविक तथ्यों के पश्चात प्रार्थी के अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के उक्त आचरण से यह विश्वास हो गया है कि यदि प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से बहस करवा भी दी तो पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को गुणावगुण पर निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की किंचित मात्र भी सम्भावना नहीं है। इसलिए न्यायहित में भी आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण को जिलाधीश परिसर जयपुर के किसी भी अन्य न्यायालय में हस्तातंरित करने का आदेश प्रदान करे। ताकि प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके तथा प्रार्थी का न्याय प्रणाली एवं प्रक्रिया पर विश्वास कायम हो सके एवं प्रार्थी विधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अपनी खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु नवीन मार्ग निर्माण एवं स्थायीकरण करवा सके । अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने निराधार, मनगढ़ंत एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 20.04.2022 को उपस्थित होकर बहस सुनने बाबत निवदेन करने का कथन किया है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत में उपखण्ड अधिकारी आमेर की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.04.2022 को पी. ओ. सा. के राज कार्य में व्यस्थ रहने/समयाभाव फलस्वरूप पूर्वानुसार दिनांक 27.04.2022 को पेश हो। " लिखा हुआ है। इसलिए प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं अधीनस्थ न्यायायल की आदेशिका का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(सजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर